

No. 12(1)/E.II(A)/2016  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Expenditure

New Delhi, the 7<sup>th</sup> October, 2016


OFFICE MEMORANDUM

Subject: Grant of advances - Seventh Pay Commission recommendations- Amendment to Rules 21(5) of Compendium of Rules on Advances to Government Servants.

The undersigned is directed to say that in pursuance of the decision taken by the Government on the Seventh Pay Commission's recommendations relating to advances, the existing provisions of Compendium of Rules on Advances – 21(5) relating to Personal Computer Advance are amended as per the amendments attached.

2. These orders will take effect from the date of issue of this O.M. The cases where the advances have already been sanctioned need not be reopened.
3. The other interest bearing advances relating to Motor Car Advance and Motorcycle / Scooter / Moped Advance will stand discontinued.
4. In so far as persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.
5. All the Ministries/Departments are requested to bring the amendments to the notice of all its attached and subordinate offices for their information.

Hindi version of this O.M. is enclosed.

  
(Pankaj Hazarika)  
Director, E.II(A)

To

All the Ministries/Departments of the Government of India, etc.

Copy (with usual number of spare copies) forwarded to C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

AMENDMENTS TO COMPENDIUM OF RULES ON ADVANCES TO  
GOVERNMENT SERVANTS, 2005

**CONDITIONS OF GRANT OF COMPUTER ADVANCE:**

**Rule 21(5)**

Advance	Quantum	Eligibility Criteria
Personal Computer Advance	Rs.50,000 or actual price of PC, whichever is lower.	All government employees

- (ii) The Computer advance will be allowed maximum five times in the entire service.

सं. 12(1)/ई.II(ए)/2016

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्टूबर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अग्रिम प्रदान किया जाना - सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों - सरकारी कर्मचारियों के अग्रिमों से संबंधित नियमों का सार-संग्रह के नियम 21(5) में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अग्रिमों के संबंध में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, पर्सनल कम्प्यूटर अग्रिम से संबंधित अग्रिमों पर नियमों के सार संग्रह के मौजूदा प्रावधानों - 21(5) में संलग्न संशोधनों के अनुसार संशोधन किए जाते हैं।

2. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे। जिन मामलों में अग्रिमों को पहले से ही मंजूरी दे दी गई है, उन पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
3. मोटर कार अग्रिम और मोटरसाइकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम से संबंधित अन्य ब्याज वाले अग्रिमों को समाप्त कर दिया गया है।
4. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।
5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे इन संशोधनों की जानकारी अपने सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को दें।



(पंकज हजारिका)  
निदेशक, ई.II(ए)

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, आदि।

मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को प्रति (अतिरिक्त प्रतियाँ सहित) प्रेषित।

सरकारी कर्मचारियों के अग्रिमों से संबंधित नियमों के  
सार - संग्रह में संशोधन, 2005

कम्प्यूटर अग्रिम प्रदान किए जाने की शर्तें:

नियम 21(5)

अग्रिम	मात्रा	पात्रता मानदंड
पर्सनल कम्प्यूटर अग्रिम	50,000 रु. या पर्सनल कम्प्यूटर का वास्तविक मूल्य, जो भी कम हो	सभी सरकारी कर्मचारी।

(ii) पूरे सेवाकाल में कम्प्यूटर अग्रिम की अधिकतम पांच बार की अनुमति दी जाएगी।